70

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक : 2926-दो/2012 - विरूद्ध आदेश दिनांक 13-08-2012- पारित व्दारा - तहसीलदार, मुंगावली जिला अशोकनगर - प्रकरण क्रमांक 14 अ-6-अ/2011-12

कोमल पुत्र दरयाब सिंह लोधी
ग्राम ढुँढैर तहसील मुंगावली
जिला अशोकनगर मध्य प्रदेश ———आवेदक

विरूद्ध

गोरेलाल पुत्र कोमल लोधी
ग्राम ढुँढैर तहसील मुंगावली
जिला अशोकनगर मध्य प्रदेश ——अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री के0के0द्विवेदी)
( अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित-एकपक्षीय )

आ दे श

;आज दिनांक08-03-2018 को पारितद्ध

यह निगरानी तहसीलदार, मुंगावली जिला अशोकनगर के प्र0क्र0 14 अ-6-अ/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 13-8-2012 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक ने तहसीलदार मुंगावली के समक्ष मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 115, 116 सहपठित 32 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर मांग की कि ग्राम द्वडेर तहसील मुंगावली स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 161 रकबा 0-836 हैक्टर उसके स्वामित्व एंव आधिपत्य की थी जो उसके व्दारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 31-8-1984 से क्रय की गई है तभी से वह भूमि पर काविज होकर खेती करता आ रहा है। आवेदक का नाम संबत 2040 तक दर्ज है किन्तु अनावेदक ने सॉठ गॉठ करके अपना नाम दर्ज करा लिया है इसलिये इन्द्राज दुरूस्ती की जाय। तहसीलदार

मुंगावली ने प्रकरण कमांक 14अ-6-अ/2011-12 पॅजीबद्ध किया तथा पक्षकारों को सुनकर आदेश दि. 13-8-2012 पारित करके आवेदक का आवेदन निरस्त कर दिया। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

2/ आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने गये तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

3/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव तहसीलदार मुंगावली के प्रकरण कमांक 14 अ-6-अ/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 13-8-2012 के अवलोकन से परिलक्षित है कि तहसीलदार का यह आदेश संहिता की धारा 115, 116 के अंतर्गत पारित किया गया है और तहसीलदार का यह आदेश अंतिम आदेश है जो अपील योग्य है, जिसकी प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष होगी, जबकि आवेदक ने सीधे राजस्व मण्डल में निगरानी प्रस्तुत की है। **म0प्र0राज्य विरूद्ध जयरामपुर को-आपरेटिव सोसाइटी 1979 रा.नि. 465 में बताया गया है कि यदि मामले में विशेष कारण न हो तब मामला सवसे निचले न्यायालय में प्रस्तुत करना चाहिये। इसी प्रकार केशरवाई विरूद्ध बल्दुआ 1993 रा.नि. 46 (पूर्ण पीठ) का न्याय दृष्टांत है कि सर्वप्रथम मामला निचले न्यायालयों में पेश किया जाना चाहिये अथवा सीधा राजस्व मण्डल में पेश किये जाने के लिये विशिष्ट कारण दर्शाया जाना चाहिये।** जबकि विचाराधीन प्रकरण में आवेदक के अभिभाषक यह समाधान नहीं करा सके कि अपील योग्य आदेश है तब ऐसे आदेश के विरूद्ध सीधे राजस्व मण्डल में निगरानी प्रस्तुत करने के लिये क्या विशिष्ठ कारण हैं। तहसीलदार का आदेश दिनांक13-8-12 संहिता की धारा 115, 116 के अंतर्गत पारित है और यह आदेश अंतिम आदेश है जो अपील योग्य है, तब ऐसे आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जाना चाहिये। आवेदक के अभिभाषक ने सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने हेतु पुनरीक्षण आवेदन वापिस किये जाने की मांग भी नहीं की है। आवेदक को व्यर्थ हानि न हो, आवेदक इस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि सहित सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है जिसके कारण यह निगरानी सुनवाई योग्य न होने से इसी-स्तर निरस्त की जाती है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल,
मध्य प्रदेश ग्वालियर